न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी–

रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
07 / 2020 प्रा.पत्र / 2020	13.01.2020	06.03.2025

मदन लाल गूजर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री पारस कुमार जैन पुत्र श्री मीठालाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स प्रदीप किराणा एण्ड जनरल स्टोर बस स्टैण्ड के पीछे देवली जिला टोंक(राज0)निवासी वार्ड नं 3 नारायण नगर ज्योति कॉलोनी देवली जिला टोंक(राज0)पिनकोड–304804।

2–मैसर्स प्रदीप किराणा एण्ड जनरल स्टोर बस स्टैण्ड के पीछे देवली जिला टोंक(राज0)पिनकोड–304804।

3–श्री शेखर चन्द जैन पुत्र श्री सूरजमल जैन निवासी प्लॉट नं0 75 जनता कॉलोनी देवली जिला टोक प्रोपरायटर मैसर्स स्वास्तिक ट्रेडर्स छाया मार्केट देवली जिला टोंक राज0 पिनकोड–304804

4–मैसर्स स्वास्तिक ट्रेडर्स छाया मार्केट देवली जिला टोंक राज0 पिनकोड–304804।

........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा (2) (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थीगण श्री पारस कुमार जैन एवं शेखर चन्द जैनं उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 06/3/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.09.2019 को समय 01:05 पी.एम. पर मैसर्स प्रदीप किराणा एण्ड जनरल स्टोर बस स्टैण्ड के पीछे देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री पारस कुमार जैन पुत्र श्री मीठालाल जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स प्रदीप किराणा एण्ड जनरल स्टोर बस स्टैण्ड के पीछे देवली जिला टोंक पर खादय पदार्थ गुड, तेल, घी मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री पारस कुमार जैन पुत्र श्री मीठालाल जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री पारस कुमार जैन पुत्र श्री मीठालाल जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक / प्रोपरायटर होना स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय करने हेतु दुकान में तेल, घी ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी नमकीन अलग–अलग ब्राण्ड आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ–साथ मसाले के साथ–साथ अन्य खाद्य पदार्थ के

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

साथ **मूंगफली तेल डबल फिल्टर श्री पार्वती स्वास्तिक मूल पैक(Groundnut Oil Double Filter Shree Parwati Swastic Origional Pack)** 910–910 ग्राम के 6 मूल पैक बोतल दुकान की रैक में रखा हुआ था, जिसके बैंच नं0 07 एवं पैकिंग की दिनांक जुलाई–2019 थी, दुकान की रैक में रखा हुआ था। जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री पारस कुमार जैन पुत्र श्री मीठालाल जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री पारस कुमार जैन पुत्र श्री मीठालाल जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दुकान की रैंक में **मूंगफली तेल डबल फिल्टर श्री पार्वती स्वास्तिक मूल पैक(Groundnut Oil Double Filter Shree Parwati Swastic Origional Pack)**, में से 910–910 ग्राम के ज्यों का त्यों साफ 4 मूल पैक बोतल वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मूंगफली तेल डबल फिल्टर श्री पार्वती स्वास्तिक मूल पैक(Groundnut Oil Double Filter Shree Parwati Swastic Origional Pack)** 4 मूल पैक प्रत्येक 910–910 ग्राम के 4 नग कुल मात्रा 3.640 कि0ग्राम को ज्यों का त्यों साफ प्रिटेंड बोतलों को ज्यों का त्यों खाकी कागज से लपेटकर एवं चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2290 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2290 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

विक्रेता पारस कुमार जैन पुत्र श्री मीठालाल जैन जी की गली गोविन्द देवजी मन्दिर के पास राजमहल तह. देवली जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स स्वास्तिक ट्रेडर्स छाया मार्केट देवली जिला टोंक राज0 का बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया ।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./19/2366 दिनांक 11.11.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एल.एस/2119/एक्ट/2019/1663 दिनांक 04.10.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **मूंगफली तेल डबल फिल्टर श्री पार्वती स्वास्तिक मूल पैक(Groundnut Oil Double Filter Shree Parwati Swastic Origional Pack)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण श्री पारस कुमार जैन एवं शेखर चन्द जैन स्वयं उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **मूंगफली तेल डबल फिल्टर श्री पार्वती स्वास्तिक मूल पैक(Groundnut Oil Double Filter Shree Parwati Swastic Origional Pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **मूंगफली तेल डबल फिल्टर श्री पार्वती स्वास्तिक मूल पैक(Groundnut Oil Double Filter Shree Parwati Swastic Origional Pack)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/3/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0